न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर - केम्प - भोपाल

निग० 3616-PBR-/2015

प्रकरण क्रमांक ......

श्री राधावल्लभ पंजीयत न्यास
द्वारा:- सभी न्यासियों द्वारा अधिकृत
का अध्यक्ष न्यासी कुमारी शांति सक्सैना
पुत्री स्व0 नर्बदाचरण लाल सक्सैना आयु-वयस्क
निवासी-बगलवाड़ा रोड बरेली तह0बरेली
जिला-रायसेन ।

--- निगरानी कर्ता/
आवेदिका

--विरुद्ध --

1- रामसिंह आ0 प्रेमसिंह राजपूत आयु-वयस्क
निवासी-126, वार्ड क्रमांक-4, शक्तिनगर
बरेली जिला- रायसेन ।

2- अतुल पारिख आत्मज स्व0 नरेन्द्र पारिख
आयु लगभग 54 वर्ष निवासी-89/1, रामानंद-
कॉलोनी, लालघाटी- भोपाल ।

3- श्रीमति मोहनीदेवी आयु लगभग 76 वर्ष बेवा
स्व0 नरेन्द्र पारिख, निवासी- 89/2 रामानंद-
कॉलोनी, लालघाटी -भोपाल।

4- श्रीमति शशि तिवारी आयु लगभग 66 वर्ष पत्नि
स्व0हरिनारायण तिवारी निवासी-14,-
कृष्णा सेजवार - भोपाल ।

5 - श्रीमति गायत्रीदेवी आयु-लगभग/63 वर्ष पत्नि
आर0जी0 उपाध्याय निवासी-13, दुर्गेश विहार
नरेला शंकरी मिनाल, जे. के. रोड -भोपाल ।

6- श्रीमति शारदा शर्मा आयु लगभग 61 साल पत्नि
विजेन्द्र शर्मा निवासी-4/57, ग्रीन सिटी
त्रिलंगा - भोपाल ।

~~7- श्रीमति कुसुम शर्मा~~

--- निरंतर--- 2

7- श्रीमति पुष्पा शर्मा पत्नि पी0एस0शर्मा
आयु लगभग 58 वर्ष निवासी-अन्त्योदय नगर
बैंक कॉलोनी- भोपाल ।

8- श्रीमति छाया त्रिपाठी पत्नि यदुनंदन त्रिपाठी
आयु लगभग 48 साल निवासी- 97,चन्द्रिका-
हाउसिंग सोसायटी,बावड़िया कलां- भोपाल।

9- श्रीमति माया जोशी पत्नि पुष्पक जोशी आयु-
लगभग 50 वर्ष निवासी- 22 अनुराग-नगर
ए0बी0रोड इन्दौर म0प्र0

10- श्रीमति नीलमा पालीवाल आयु- लगभग 46 वर्ष
पत्नि विनीत पालीवाल निवासी-24 रामानन्द-
कालोनी- लालघाटी- भोपाल ।

11- मनीष पारिख आयु- लगभग 43 वर्ष आत्मज
स्व0 नरेन्द्र पारिख निवासी-छोटा बाजार बरेली
तहसील-बरेली जिला-रायसेन ।

--- अनावेदक-गण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू रा0 संहिता - 1959.

महोदय,

निगरानीकर्ता द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी -बरेली के प्रकरण 12/अपील/अ-06/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 8/9/2015 से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है ।

प्रकरण के तथ्य –

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3616-PBR/15 **जिला** दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–15 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश का विवादित मूल प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्राप्त हो चुका है, अतः तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है । उक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 (3) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 8–7–2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया है, और दिनांक 22–01–05 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित अपील निरस्त हो चुकी है, ऐसी स्थिति में दिनांक 8–7–2004 के पूर्व की स्थिति कायम करने का कोई औचित्य नहीं है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	